फा0सं0-डी-26011/1/2011-स्थापना

भारत सराकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

दिनांक: ३१ अगस्त, 2012

निविदा सूचना

विषय: **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए टैक्सियों कारों (एसी एवं गैर-एसी) को किराये पर लेना: दरें आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।**

1.10.2012 अथवा संविदा के निर्णय की तिथि से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष की अवधि के लिए दैनिक तथा आवश्यकता के आधार पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए चालक सहित प्राइवेट टैक्सियों अर्थात् मारुति एस्टीम/टाटा इंडिका इत्यादि को किराए पर लेने के लिए वार्षिक दर संविदा के निर्णय के लिए प्रतिष्ठित टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। टैक्सियां अच्छी दशा में होनी चाहिएं और संबंधित मोटर वाहन नियमों के अनुरूप होनी चाहिएं।

1. केवल उन्हीं सेवा प्रदाता कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों आदि के प्रस्तावों पर विचार किया ज़ाएगा, जिनके पास टेंडर खोलने की तिथि को, दिल्ली सरकार/राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा। अपंजीकृत फर्मों के प्रस्तावों को एक दम निरस्त कर दिया जाएगा।

2. केवल वे ही आपरेटर अपनी दरें उद्धृत करें, जिनके पास कम से कम पाँच टैक्सी कारें हों। दरों को अंतिम रूप देने से पहले पाँच डीएलवाई कारों पर उनके वास्तविक स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपरेटरों के पास विनिर्दिष्ट संख्या में कारें नहीं हैं, तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र और परमिट की सत्यापित फोटो कापियां टेंडर के साथ संलग्न होनी चाहिएं)।

3. आपरेटर केन्द्रीय उत्पाद विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास 15 अंकों का सेवा कर कोड होना चाहिए और वह सेवा कर का भुगतान कर रहा हो।

4. दरें तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के दो भागों में होंगी। तकनीकी दरें और वित्तीय दरें अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होंगी और तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर "टैक्सी कारों की आपूर्ति के लिए निविदा" लिखा जाना चाहिए तथा यह **अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कमरा सं0 38, टाईफैक हटमैन्टस, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016** के नाम से भेजा जाना चाहिए। निविदादाताओं को डी.डी.ओ, डीएसआईआर, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर द्वारा 40,000/-रूपए (चालीस हजार रूपए मात्र) की धरोहर राशि अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

जारी 2/

5. निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात् असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।

6. मिटाई गई, कांट-छांट की गई उद्धृत दरों वाले टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों पर स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएं, अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. टेंडर को स्वीकार करने की शक्तियां विभाग के पास हैं और विभाग न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। करार की अवधि के दौरान दरों के संशोधन के लिए विक्रेताओं के किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. विभाग को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार है। विभाग को किसी भी टेंडर को पूर्णतः अथवा उसके किसी हिस्से को भी स्वीकार करने का अधिकार है।

9. टेंडर/करार संलग्न **'अनुबंध-I'** में दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन होंगे।

10. 'टेंडर दस्तावेज' विभाग की वैबसाईट www.dsir.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), कमरा सं0 37, टाईफैक हटमैन्टस, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

11. संलग्न **'अनुबंध-II एवं III'** में दिए गए प्रोफार्मा में दरें प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मुहरबन्द दरें 10.9.2012 तक सांय 3.00 बजे तक टेक्नोलॉजी भवन के स्वागत कक्ष के पास रखे डीएसआईआर के टेंडर बॉक्स में डाली जाएं। दरें उसी दिन 4.00 बजे सांय कमरा सं0 38, टाईफैक हटमैन्टस, टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली में टेंडर कर्त्ताओं/एंजेंसियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो भी उपस्थित होना चाहते हों।

(श्रीनिबास प्रधान)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 26590682

अनुबंध-1

नियम एवं शर्तें

दर करार 01.10.2012 से 30.9.2013 अथवा करार होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, जो भी बाद में हो। न्यूनतम अथवा वास्तविक सेवाओं अथवा वास्तविक सेवा उपयोग के संबंध में कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती।

2. सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों पर प्राइवेट टैक्सी सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर भी, ये सेवाएं सप्ताह के सभी सातों दिन और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी अपेक्षित होगी। वार्षिक दर करार के अंतर्गत सेवा-प्रदाता सभी दिवसों पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

3. किराये पर ली गई टैक्सी केवल इस विभाग के उपयोग के लिए होगी और किसी भी परिस्थिति में सेवा-प्रदाता सहित किसी अन्य उपयोगकर्त्ता के साथ भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।

4. सेवा के लिए प्रदान की गई टैक्सियों का रखरखाव उत्कृष्ट चालन हालत में होना चाहिए। प्रदान की गई टैक्सी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले रोज विधिवत् साफ और धुली होनी चाहिए। यदि डीएसआईआर टैक्सी की व्यवस्था इसके रखरखाव साफ-सफाई में संतुष्ट नहीं हुआ, तो बोली लगाने वाला डीएसआईआर द्वारा स्वीकृति के लिए तुरन्त एक वैकल्पिक टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में डीएसआईआर का निर्णय अन्तिम होगा और सेवा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा की गई कोई भी आपत्ति करार का उल्लघंन माना जाएगा और इस विभाग द्वारा ऐसे सेवा आपूर्तिकर्त्ता के साथ दर करार के समापन का भागी होगा।

5. इस प्रकार किया गया करार फर्म द्वारा नियम और शर्तों पर अपनी सहमति देने की तारीख से प्रारम्भ होगा और फर्म को किसी वाणिज्यिक बैंक की ओर से निष्पादन प्रतिभूति के रूप में **अनुबंध-IV** निर्धारित प्रारूप में 40,000/-रू0 की बैंक गारण्टी जमा करानी होगी जिसे करार की अवधि समाप्त होने पर वापिस लिया जा सकेगा। निष्पादन प्रतिभूति दर निविदा की अवधि के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। निष्पादन किया गया करार विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

6. कार्य के सामान्य घण्टे प्रतिदिन 10 घंटे होंगे।

7. स्वीकृत मूल्य संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर एवं स्थायी रहेंगे और किसी भी कारण उनमें होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार उसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगें। निवेदित दरें सभी करों सहित होनी चाहिए। फिर भी सेवा आपूर्तिकर्ता अपने आवधिक बिलों में लागू दर पर सेवा कर का दावा/चार्ज कर सकता है।

8. करार की अवधि के दौरान सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा की राशि जब्त कर ली जाएगी। इस करार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली के न्यायलयों का होगा।

9. यात्रा शुरू होने के बाद यह यात्रा किसी खराबी के कारण पूरी न होने की स्थिति में, डीएसआईआर बाजार से कोई अन्य टैक्सी किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, भुगतान की आधिक्य राशि सेवा प्रदाता के मासिक बिल से वसूल की जाएगी

जारी 2/

10. यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा के लिए प्रदान किए गए प्रत्येक वाहन के साथ ऐसे प्रशिक्षित ड्राइवर उपलब्ध कराए, जिनके पास दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षात्मक ढंग से ड्राइविंग करने के कौशल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, कस्टमर के साथ कार्रवाई करने में शिष्ट हो, आपरेटिंग उपकरणों में प्रशिक्षित हो और शहर की गलियों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी कि वह ड्राइवरों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 60 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवर स्वीकार्य नहीं होंगे। तैनात किए गए ड्राइवर को टैक्सी में अधिष्ठापित आग बुझाने के पोर्टेबल उपकरणों को आपरेट करने और यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी हो, रात्रि में टार्च अथवा वर्षा आदि के दौरान छतरी के साथ कस्टमर को कार्यालय/अन्य भवन तक साथ आना चाहिए।

11. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर की सुरक्षा जांच का सत्यापन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। तथापि, डीएसआईआर दर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय ड्राइवर के पुलिस सत्यापन कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से गत 5 वर्षों के दौरान ड्राइविंग के दौरान कोई दुर्घटना न हुई हो। ड्राइवर को सेवा से सम्बद्ध वर्दी में होना चाहिए और उपयोगकर्त्ता के साथ शिष्ट व्यवहार बना कर रखना चाहिए।

12. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के दौरान वर्किंग मोबाइल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो खुला रहना चाहिए। ड्राइवर द्वारा किसी दुर्व्यवहार अथवा ड्राइवर के कार्य करने के दौरान पाई गई अन्य कोई कमी के बारे में पता लगने की स्थिति में बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा। ड्राइवर की असंतोषजनक सेवा के बारे में सेवा प्रदाता द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सकता है।

13. उपलब्ध कराया गया ड्राइवर शिक्षित होना चाहिए ताकि वह यात्रा करने वाले अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित यात्रा के प्रत्येक अवसर पर प्रारम्भिक किलोमीटर, अंतिम किलोमीटर, तय की गई दूरी, यात्रा में लगा समय, गंतव्य स्थान आदि के बारे में लॉग बुक में प्रविष्टियां कर सकें और रोज़ाना अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों का रख-रखाव कर सके।

14. ईंधन पर आने वाली लागत, कारों के अनुरक्षण, मोबाइल फोन के प्रभार तथा ड्राइवर का वेतन आदि बोली दाता द्वारा वहन किया जाएगा और डीएसआईआर द्वारा अलग से कोई प्रभारों की अनुमति नहीं होगी।

15. सेवा प्रदाता को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ईंधन टाइप पर चलने वाली टैक्सी, जिसके लिए मांग की गई थी, की अनुपलब्धता के लिए कोई बहाना अथवा अन्य ईंधन पर वाहन के संचालन के लिए प्रभारों को मंजूर करना स्वीकार्य नहीं होगा।

16. डीएसआईआर को सेवाएं देने के लिए वाहनों के अनुबंध के दौरान सड़क दुर्घटना आदि के कारण, होने वाली कोई क्षति अथवा जख्मी होने की स्थिति में मामले सेवा प्रदाता द्वारा देखे जाएंगे। डीएसआईआर अथवा इसके प्रयोगकर्त्ता को किसी भी रूप में इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण किसी दायित्व के संबंध में अकेले सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी। बोली प्रदाता/सेवा प्रदाता डीएसआईआर द्वारा टैक्सी किराये पर लेने के कारण होने वाले कोई अपराधिक अथवा दीवानी देयता के प्रति डीएसआईआर/डीएसआईआर के उपयोक्ताओं को पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

जारी 3/

17. सेवा प्रदाता को वाहन के संबंध में हर समय यात्रियों के बीमा सहित उपयुक्त एवं वैध बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है।

18. सीमा पार जाने के लिए टोल टैक्स, प्रवेश कर, परमिट शुल्क, यदि कोई हो, अथवा पार्किंग प्रभार डीएसआईआर द्वारा तभी वहन किए जाएंगे जब डीएसआईआर को मासिक बिल के साथ मूल रसीदें भी भेजी जाएं।

19. डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा के दौरान हर समय वाहन में सभी संबंधित अद्यतन कागज-पत्र उपलब्ध रहने चाहिए। चालक को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए।

20. सेवा-प्रदाता कैलेण्डर मास के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए आगामी कैलेण्डर मास के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपने बिल प्रस्तुत कर सकता है।

21. किराये पर ली गई टैक्सी के संबंध में समय और दूरी टैक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली से शुरू की जाएगी और टैक्नोलॉजी भवन पर ही समाप्त होगी।

22. यात्रा ड्यूटी के दौरान तय की गई किलोमीटर/माइलेज मीटर/वास्तविक दूरी के साथ छेड़छाड़ का ड्यूटी के दौरान पता लगने पर इसे गंभीर माना जाएगा और तदनुसार, त्रुटिकर्त्ता फर्म के करार को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी।

23. सेवा-प्रदाता के पास अपने वाहनों की शीघ्रता-पूर्वक मरम्मत कराने की क्षमता होनी चाहिए। जब कभी विभाग से कोई मांग प्राप्त हो, उन्हें वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।

24. सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्सी कोटे के अंतर्गत पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराए जाएं।

25. स्वामी/सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के प्रत्यक्ष टेलीफोन (कार्यालय और निवास) और मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आपात मामलों में टेलीफोन पर बातचीत का होना सुनिश्चित हो सके।

26. कार्य प्राप्त होने के आदेश के आधार पर न तो किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान किया जाएगा और न ही किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से किसी प्रकार का ऋण देने की सिफारिश की जाएगी।

27. उक्त वर्णित किसी भी नियम एवं शर्त के उल्लंघन के मामले में विभाग को बिना कोई कारण बताते हुए कार्यादेश को निरस्त करनें का अधिकार होगा और ऐसी दशा में विभाग द्वारा किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा तथा निष्पादन बैंक गारंटी के रुप में जमा प्रतिभूति भुना ली जाएगी।

अनुबंध - II

<u>तकनीकी बोली</u>

		पृष्ठ संख्या, जहां पर दस्तावेज रखे गए हैं
1.	फर्म/कम्पनी/अभिकरण का नाम	
2.	पूरा पता एवं दूरभाष संख्या	
3.	दूरभाष संख्या और पता सहित गैरेज का स्थान	
4.	क्या 40,000/- रूपए की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/वेतन आदेश के रूप में संलग्न है	
5.	नवीनतम आयकर रिटर्न और पेन संख्या की प्रति (प्रमाण सहित)	
6.	15 अंकीय सेवा कर कोड सं. एवं वैट लेखा सं. (प्रमाण सहित)	
7.	एजेंसी के स्वामित्व वाली 5 डीएलवाई कारों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रतियां (प्रमाण सहित)	
8.	फर्म के पंजीकरण सं./लाईसेंस संख्या की प्रति (प्रमाण सहित)	

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस टेंडर पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियम एवं शर्ते पढ़ और पूर्णतः समझ ली हैं तथा मैं/हम उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(नाम एवं पता सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध - III

वाणिज्यिक बोली

विवरण	सीएनजी	
	गैर-ए/सी	ए/सी
100 कि.मी. - 10 घंटे		
50 कि.मी. - 5 घंटे		
अतिरिक्त प्रभार प्रति घंटा		
अतिरिक्त प्रभार प्रति कि.मी.		
शहर से बाहर का प्रभार (न्यूनतम 200 कि.मी.)		
शहर से बाहर का रात्रि प्रभार		
रात्रि ठहरने का प्रभार (12.00 बजे मध्य रात्रि के पश्चात)		

(नाम एवं पते के साथ हस्ताक्षर)